Joint Inspection Report regarding NGT Case No. 326/19 Siddhart Jain V/s Govt. Of M.P.

The order of Hon'ble Green Tribunal Principal Bench, dated 7th may 2019 is Let the District Magistrate, Jabalpur and Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) look into the matter and furnish a factual and action taken report within two months by email at ngt.filing@gmail.com. The nodal agency for coordination and compliance will be Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).

The Joint inspection was carried out on 13/09/2019 with Department of Revenue, Shri Arun Dubey (Revenue Inspector) and Shri Ramswaroop Chadhar, (Patwari), Tehsil Gohalpur, Distt. Jabalpur and Department of M.P. Pollution Control Board Shri Sanjay Verma (Assistant Engineer) and Shri R.R. Bhanwar (Scientist). During inspection Applicant was contacted for given fact details inspection of the he was not present at the site. He informed on telephone that he has gone to Medical College for his treatment inspection Panchmana made and photographs were taken during inspection. **(Annex- 1 &2).** The observation report is as follows :-

1- Mouza Garha pond behind Jain Temple, Jabalpur was filled by Murrum the empty plot (size is approximately 50 X 70 Feet.)
2- Empty plot was purchased by Shri Sanjay Jain. This was informed by one of the resident.
3- There was no evidence of any pond, as mentioned in complained by the complainant. The residents residing there told that there was a deep hollow land which was of no use so many years. Empty plot was surrounded with pakka house .
4- No encroachment was found in the records of Department of Revenue.
5- As per revenue record this blank plot comes under residential area **(Annex. 3).**

Encl: 1) Inspection photographs, 2) Panchnama , 3) Annexure 1

Arun Dubey
revenue inspector
Department of Revenue Office
Jabalpur (M.P.)

Ramswaroop Chadhar
Patwari
Department of Revenue Office
Jabalpur (M.P.)

R.R. Bhanwar
Scientist
M.P. Pollution control Board
Jabalpur (M.P.)

Sanjay Verma
Assistant Engineer
M.P. Pollution control Board
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय तहसीलदार गोरखपुर जिला–जबलपुर

क्र./341/प्रवा0/तह0/गोरखपुर/19 जबलपुर, दिनांक 27/09/2019

प्रति,

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग–गोरखपुर
जबलपुर

विषय :– आवेदक सिद्धार्थ जैन द्वारा की गई शिकायत की जांच के संबंध में।

संदर्भ :– म0प्र0 प्रदूषण बोर्ड के पत्र क्र.1663/स्था0/प्रनिबो/2019 जबलपुर दिनांक 04/09/2019

– – 00 – –

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आवेदक सिद्धार्थ जैन द्वारा की गई शिकायत के संबंध में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया गया कि आवेदक सिद्धार्थ जैन द्वारा मौजा गढा छोटे जैन मंदिर के पीछे संजय जैन द्वारा तालाब में मिट्टी, मलवा, मुरम डालकर तालाब को पूरने एवं अवैध रुप से प्लाटिंग किये जाने की शिकायत की गई है। उक्त संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त जांच की गई जिसमें निम्नांकित तथ्य पाये गये :–

1. यह कि शिकायतकर्ता सिद्वार्थ जैन द्वारा शिकायत पत्र में दर्शित मोबाइल नंबर पर बात करके उपस्थित होने के कहने पर बताया गया कि स्थल से स्थल से दूर है इसलिये मौके पर नहीं पहुंच सकता एवं मौके पर जांच के समय उपस्थित नहीं हुये।

2. यह कि संबंधित स्थल वर्तमान में समतल है। पानी नहीं भरा है। तालाब में संबंधित कोई संरचना नहीं है। और न ही प्रमाण है। निवासियों (आस–पास) रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बातया गया कि मौके पर तालाब नहीं था एक गहरा गड्ढा था जिसका कोई उपयोग नहीं आस पास के रहने वाले निवासियों के द्वारा पानी का उपयोग नहीं किया जाता था। उक्त गडढे से आसपास रहने वाले व्यक्तियों का कोई हितप्रभावित नहीं हो रहा है।

3. वर्तमान अभिलेख अनुसार प्रश्नाधीन स्थल ग्राम गढा खसरा नं0 462/1 रकवा 6.901 हे0 मद आबादी भूमि है। उक्त भूमि का विवादित स्थल के आस पास चारों ओर मकान बने है। विवादित स्थल में 4–5 वर्ष पूर्व संजय जैन द्वारा मुरुम एवं मिट्टी डालकर पुराई कर समतल किया जाना पाया जाता है। स्थल का क्षेत्रफल 70X50 वर्गफुट लगभग है जो मौके पर स्थित है।

हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा पत्र के साथ मूलतः संग्लन कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

21/9/19

संलग्न–उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
गोरखपुर–1, जबलपुर

जाँच प्रतिवेदन

सेवा में,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
गोरखपुर

विषय- आवेदक गिरधारी जैन द्वारा की गई शिकायत की जाँच के सम्बन्ध में.

सन्दर्भ - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्र. 1663/शिका./प्र./2013 दिनांक 4/9/13 के सन्दर्भ में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक श्री गिरधारी जैन द्वारा आँजा ग्राम, छोटे जैन मंदिर के पीछे संजय जैन द्वारा तालाब में मिट्टी, मलवा, कचरा डालकर तालाब को समाप्त किए एवं अवैध रूप से प्लाटिंग किए जाने की शिकायत की गई है। उक्त सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ संयुक्त जाँच की गई जिसमें निम्नांकित तथ्य पाए गए है।

— यह कि शिकायतकर्ता गिरधारी जैन द्वारा शिकायत पत्र में दर्शित मोबाइल नम्बर पर बात करके उपस्थित होने को कहने पर बताया गया कि स्थान से दूर है इसलिए वो समय पर नहीं पहुँच सकता तथा मौके पर जाँच के समय उपस्थित नहीं हुआ।

— यह कि सम्बन्धित स्थल वर्तमान में समतल है। पानी नहीं भरा है। तालाब से सम्बन्धित कोई संरचना भी नहीं है। और न ही प्रमाण है। निवासियों (आस-पास) रहने वाले लोगों द्वारा बताया गया है कि मौके पर तालाब नहीं

नदी आस-पास के रहने वाले निवासियों द्वारा नदी
पानी का उपयोग नहीं किया जाता था। इसके कारण
नदी आसपास रहने वाले व्यक्तियों का कोई हित प्रभावित
नहीं हो रहा है।

— वर्तमान अभिलेख अनुसार प्रस्तावित स्थल ग्राम-गाहा
ख.नं. 462 (301 6.90 हे.) रकबा आबादी भूमि है। उक्त भूमि का
([illegible])
चिन्हित स्थल के आस पास कोई मकान नहीं है।
चिन्हित स्थल में 4-5 वर्ष पूर्व निजी
लोगों द्वारा कुछ ईंट व मिट्टी डालकर पुराई
कर समतल किया जाना पाया जाता है।
स्थल का क्षेत्रफल 70x50 वर्ग फुट लगभग है।
जो मौके पर रिक्त है।

उचित कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सम्मान
सहित प्रेषित है।

[signature]

[signature] P[illegible]06